कार्यालय जिला कलक्टर (भू०अ०) अलवर

क्रमांक : भू०अ०/स्था०/19/ दिनांक :

—:: आदेश ::—

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशांक राम/भू०अ०/परीक्षा/प–279/2017/388–420 दि. 10.01.19 के अनुसरण में पटवार प्रशिक्षणशालाओं में प्रवेश के लिये सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा, 2015 में अस्थाई चयनित घोषित किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम–4 अनुसार परिवीक्षाधीन पटवारी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये ₹ 14600/– (रुपये चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई नियुक्ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

पटवारी के पद पर अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 13151/2017 पूरण कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 8110/2017 शंकर लाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 18032/2017, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 16106/2017, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 17676/2017, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 18049/2017, एस०बी० सिविल रिट याचिका सं० 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

1. यह नियुक्ति राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शासित होगी।
2. उक्त परीवीक्षाधीन नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई है। इन्हें पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये बिना किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
3. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 8(1) का/क–2/03 दि. 09.06.03 अनुसार नव–नियुक्ति पर सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होने से वित्त विभाग के मैमोरेंडम क्रमांक एफ–13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दि. 28.01.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
4. वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ–1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दि. 13.03.2006 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ–12(6) एफ डी/(रूल्स)/05 दि. 13.03.2006 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.11(7) वित्त (नियम)/2008 दि. 12.09.2008 के नियम–21 में अंकित (अनुसूची–IV) प्रावधानानुसार परिलाभ देय होंगें।
5. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
6. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी०आई०डी० (सुरक्षा), जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण पत्र की शर्त पर है।
7. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवायें अर्पण करनी होगीं, अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
8. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाल परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परीवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएें नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं नियमित नहीं की जावेगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम् दरों पर संदत्त किया जावेगा एवं अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत संदत्त होगीं। मासिक नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें।

Scanned by CamScanner

10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष पटवारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें पूर्व सूचना/नोटिस के सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
12. परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी पद का नियमित पे-मैट्रिक्स लेवल "एल-5" देय होगा।
13. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
14. प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति के समय अथवा पूर्व में चाहे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
15. अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की संपूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
17. क्रमांक 1 पर अंकित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके दस्तावेज सत्यापन के बाद ही मान्य होगी।

S No	RNO	CTG	NAME	FNAME	D O B	District	Address
1	169297	GENF	Krishana Sharma	Ram Sharan Sharma	10-Feb-1993	Alwar	ग्राम झाझरवाला, पो० सैंथल, तहसील व जिला दौसा, पिन-303507
2	143480	MBCM	Mahesh Kumar Gurjar	Babulal Gurjar	10-Jun-1993	Alwar	ग्राम दानपुर, पो० परवैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर पिन-301409
3	165262	OBCF	Suprem Yadav	Safed Singh Yadav	25-Feb-1990	Alwar	बी-154, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, जयपुर, पिन-302021

नोट :-

1. अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, पुलिस चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर उसमें प्रतिकूल टिप्पणी होने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेगें।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र एक वर्ष पुराना संलग्न किया गया है, उनके द्वारा नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति मान्य होगी।

Sd
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

क्रमांक : भू०अ०/स्था०/19/ 1346 - 1354

दिनांक : 7/2/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर
2. श्रीमान् निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर
4. श्रीमान् पुलिस आयुक्त/अधीक्षक, जिला अलवर/जयपुर/दौसा
5. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कलक्ट्रेट, अलवर को जिले की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
7. सम्बन्धित श्री .... को प्रेषित कर लेख है वो तुरन्त प्रभाव से अपनी उपस्थिति भू०अ० शाखा, कलक्ट्रेट, अलवर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
8. निजि पत्रावली संबंधित कर्मचारी श्री ....
9. आदेश/रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

Scanned by CamScanner